

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

विपक्षीगणसिद्धानाम ईश्वरसिंह(काय)

सम मुकदमा प्रॉ. पत्र 111/128 नं० 30 सन् 2023

क्र	हुकम या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
23	<p>वाद / प्रार्थनापत्र बाद जाँच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावें । पत्रावली दिनांक 28.3.23 को पेश हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक क्लर्क माण्डल</p> <p>28/3/23 पत्रावली पेश हुई, तर्काल प्रार्थी उपस्थित, विपक्षीगण के सम्मन बाद तामिल होकर प्राप्त हुए जिसे शां.पत्र किये गये। विपक्षीगण को कितनी बार कक-कक कर आवाजे दिलायी जाने के बाद भी उपस्थित नहीं, इनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही दिये जाने के आदेश दिये जाते हैं। वकील प्रार्थी का शां.पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय सुपक से लिखा जाकर शां.पत्र किये गये। पत्रावली कैसल शुमार होकर नम्बर से कम है।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला पी.त.प.प.</p>	

राजस्थान -सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

पोस्टरीन अधिकारी-हुकमीचन्द रोहलानिया, आर.ए.एस.

क्रमांक संख्या - 30/23 प्रापत्र

- श्री लक्ष्मणसिंह जं० श्री लालसिंह गजपूर निवासी - वावलपुरा तहसील - माण्डल

-प्रार्थी

बनाम

- श्री ईश्वरसिंह जं० श्री लालसिंह गजपूर निवासी - वावलपुरा तहसील - माण्डल
- श्री देवीसिंह जं० श्री लालसिंह गजपूर निवासी - वावलपुरा तहसील - माण्डल

-विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक:- 28-03-23

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम वावलपुरा पटवार हल्का वागोर II तहसील माण्डल में उसके खाते /संयुक्त खाते की आराजी नं० 184/1, 188, 206, 207, 208, 215 कुल कित्ता 06 रकबा 0.8345 हेक्टेयर स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिका के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जायें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 03-03-23 को पंजीकृत किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम वावलपुरा पटवार हल्का वागोर II तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं० 184/1, 188, 206, 207, 208, 215 कुल कित्ता 06 रकबा 0.8345 हेक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक वागोर को 500/- रुपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथारिथति को बनाये रखते हुए मुरतकील विन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जायें। फसल खड़ी होने पर पत्थरगढी नहीं की जायें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाडा

प्रतिलिपि:- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाडा